

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

22/01/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (1) रेगा देवगम, पिता-स्व० विरसा देवगम, (2) भरत भूषण देवगम, पिता-स्व० रेगा देवगम, ग्राम-लुपुंगुदू, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-नरसन्डा, थाना-649, खाता नं०-656, प्लॉट नं०-3921 कुल रकवा - 0.10 एकड़ भूमि क्रेता मानकी सुण्डी, पति स्व० बोंज सुण्डी, ग्राम-बडा लगिया, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है एवं आवेदक न० 02 के दादा सुरा हों के नाम पर दर्ज हैं। आवेदकों का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-40, दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता मानकी सुण्डी, पति स्व० बोंज सुण्डी, ग्राम-बडा लगिया, थाना- मुफसिल के पास 1,80,000.00/- (एक लाख अस्सी हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफसिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक (1) रेगा देवगम, पिता-स्व० विरसा देवगम, (2) भरत भूषण देवगम, पिता-स्व० रेगा देवगम, ग्राम-लुपुंगुदू, थाना- मुफसिल, क्रेता मानकी सुण्डी, पति स्व० बोंज सुण्डी, ग्राम-बडा लगिया, थाना- मुफसिल के पास 1,80,000.00/- (एक लाख अस्सी हजार) रूपये में मौजा-नरसन्डा, थाना-649, खाता नं०-656, प्लॉट नं०-3921 रकवा कुल - 0.10 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।